दिनांक 23.04.2024
प्रेस विज्ञप्ति 24/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुस्तक का विमोचन

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांकः 23.04.2024 को पुलिस मुख्यालय, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ में सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह लौर द्वारा लिखित **''मेरी पुलिस यात्रा''** पुस्तक का विमोचन किया गया।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के ग्राम गौरोला निवासी, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह लौर वर्ष 1966 में बतौर उपनिरीक्षक के पद पर अपनी सेवाओं की शुरूआत कर 39 वर्षो तक उ0प्र0 पुलिस सेवा में रहते हुये वर्ष 2004 में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर पुलिस उपाधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुये। इनकी पहली तैनाती जनपद मेरठ के थाना दौराला में रही तथा पुलिस सेवा के दौरान जनपद देहरादून, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, शाहजहॉपुर, सीबीसीआईडी आगरा, जनपद इटावा, फतेहगढ़, कानपुरनगर, कानपुर देहात, सीबीसीआईडी मेरठ, जनपद सीतापुर, रायबरेली, लखनऊ, पीटीसी मुरादाबाद, जनपद रामपुर, बरेली, पीलीभीत, भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ, मेरठ, जेड0ओ0 गाजियाबाद के विभिन्न थानों/इकाईयों में नियुक्त रहकर सेवायें दी। श्री लौर द्वारा अपनी पुस्तक **''मेरी पुलिस यात्रा''** में अपने सेवाकाल के अनुभवों का उल्लेख किया गया है।

श्री लौर उत्कृष्ट कार्यों के लिये हमेशा पुलिस विभाग में याद किये जाते है, जिन्हें राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ एवं अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं आदि उपस्थित रहें।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 22.04.2024 को थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एक मूर्ति चौराहा पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त नाजिम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बिसरख पर पंजीकृत अभियोगे में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व जनपद मेरठ के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बिसरख पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नाजिम निवासी ग्राम खरदोनी शेखपुर थाना इंचोली जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना बसखारी

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 23.04.2024 को थाना बसखारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर किछौछा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नदीम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बसखारी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बसखारी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नदीम निवासी उसिया थाना दीलदारनगर जनपद गाजीपुर।

- **जनपद अमरोहा/थाना आदमपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 48 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना आदमपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विपिन को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 48 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफः फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध रूप से मा0 न्यायालय से अभियुक्तो की जमानत कराने वाले गैंग के 07 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांकः 22—04—2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध रूप से मा0 न्यायालय से अभियुक्तों की जमानत कराने वाले गैंग के 07 सदस्यो को जनपद आगरा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरणः</u>

1– मयंक गुप्ता पुत्र स्व0 प्रमोद कुमार नि0–32 डी/113 भूड का बाग शान्ति नगर थाना कमला नगर, आगरा।

2– सुनील कुमार पुत्र बृजकिशोर कुशवाहा नि0–21/266 सी राधानगर बल्केश्वर, थाना कमला नगर, आगरा।

3– मोहित गुप्ता पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र गुप्ता नि0 32/12ए लोहिया नगर, थाना कमला नगर, आगरा।

4– प्रहलाद कुमार पुत्र स्व0 कृष्णगोपाल कौशिक नि0 105/3 बल्केश्वर कालोनी, थाना कमला नगर, आगरा।

5– बन्टी उर्फ उमाशंकर पुत्र स्व0 जीवन लाल नि0 ग्राम भुडेरा थाना ताजगंज आगरा हाल पता–एम0पी0 पुरा थाना ताजगंज आगरा।

6– मेराज हुसैन पुत्र स्व0 सैयद मुस्तजाब हुसैन नि0 21/93 धुलियागंज थाना कोतवाली आगरा हाल नि0–48 पुष्पांजलिपुरम फेस–04 फतेहावाद रोड, थाना ताजगंज, आगरा।

7– अश्वनी कुमार पुत्र प्रताप सिंह नि0 राधेश्याम कालौनी मररूति सिटी रोड शमशाबाद रोड आगरा मूल नि0–ग्राम समाहद थाना रूपवास, जिला भरतपुर राज0।

<u>बरामदगीः</u>

01–129 अदद कूटरचित आधार कार्ड ।

02–24 अदद फर्जी मोहर ।

03–35 वर्क रजिस्टेशन व बीमा कूटरचित ।

04–01 अदद लैपटॉप डैल कम्पनी मय चार्जर व माउस एवं कीबोर्ड ।

05–01 अदद अदद प्रिंटर ।

06–01 अदद अदद पैन कार्ड ।

07–01 अदद वोटर आईडी ।

08–01 अदद डीएल ।

09–01 अदद आधार कार्ड ।

10–08 अदद विभिन्न वैंको के तहसील व थाने की कूट रचित रिपोर्ट ।

11–21 वर्क व जमानत तस्दीक हेतु आख्या प्रेषण का प्रारूप उद्धरण खतौनी ।

12–49 वर्क यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी व जमाबंदी केवट खतौनी कूट रचित ।

13–09 अदद विभिन्न वैंको के एटीएम व क्रेडिट कार्ड ।

14–10 अदद मोबाइल अलग–अलग कम्पनी एन्ड्राइड व कीपैड ।

15–02 अदद मो0सा0 यू0पी0 80 सीजेड 8441 प्लेटिना व मो0सा यूपी 86 एएच 5536 ग्लैमर 16–01 अदद जूपीटर टीवीएस यूपी 80 डीवाई 8056 ।

16–26,000/– रू नकद।

<u>गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः</u>

दिनांकः 22–04–2024, स्थान/समय भिन्न–भिन्न जनपद आगरा ।

एसटीएफ उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में फर्जी दस्तावेज तैयार कर मा0 न्यायालयो से फर्जी तरीको से अपराधियों की जमानत कराने वाले गैंग के सक्रिय होकर जमानत कराने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध मे एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 22–04–2024 को एसटीएफ आगरा टीम आपराधिक अभिसूचना संकलन में आगरा शहर क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इस दौरान एस0टी0एफ0 टीम को विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि कुछ व्यक्तियों का एक गिरोह जो फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध रूप से अभियुक्तों की जमानत कराने का अवैध कार्य करते है उक्त गैंग का कुछ सदस्य राजपुर चुंगी होते हुए दीवानी न्यायालय जायेंगे, जिनके पास कूटरचित दस्तावेज मौजूद है, यदि शीघ्रता की जाय तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त निरीक्षक यतीन्द्र शर्मा, हे0का0 रामनरेश, हे0का0 दिनेश गौतम, हे0का0 अरविन्द सिंह, हे0का0 ब्रजराज, हे0का0 बल्देव सिंह, आरक्षी हरपाल यादव चालक बृजकिशोर एसटीएफ आगरा बताये गये स्थान पर पहुॅचकर उक्त गैंग के 02 सदस्यो को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर गैंग के 05 अन्य सदस्यो सहित कुल 07 सदस्यो को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

अश्वनी उपरोक्त ने बताया कि वह आगरा न्यायालय में चल रहे मुकद्मों से सम्बन्धित अभियुक्तो (जो जेल में निरूद्व है) की जमानत का 30–40 हजार रूपये में फर्जी रूप से जमानतदार लगाकर

जमानत दिलाने का ठेका लेता है। उक्त जामिनदारों के फर्जी दस्तावेज (आधार कार्ड, खतौनी थाने की रिर्पोट, तहसील की रिपोर्ट) मेराज हुसैन से तैयार कराकर फर्जी जामिनदार लगाकर जमानत कराता है। उक्त बात का समर्थन मेराज हुसैन ने किया तथा बताया कि अश्वनी उसे फोटो, नाम पता व थाने व तहसील की रिपोर्ट स्वयं आकर अथवा व्हाट्सअप से देता है। उसके आधार वह (मेराज हुसैन) अपने लैपटाप से कूटरचित दस्तावेज बनाकर इनको देता अश्वनी को देता है। बन्टी उर्फ उमाशंकर व प्रहलाद कुमार ने पूछतॉछ पर बताया कि उनको अश्वनी फर्जी जमानती बनने पर 500/–रूपये व खाने–पीने की व्यवस्था करता है। यह लोग अश्वनी के साथ न्यायालय जाते है। मोहित गुप्ता ने पूछतॉछ पर बताया कि अश्वनी कागज पर नाम पता लिखकर दे देता है जिसे मंयक गुप्ता के माध्यम से सुनील से मोहरे तैयार कराकर अश्वनी कुमार को देता है।

अश्वनी कुमार उपरोक्त से पुनः कड़ाई से पूछतॉछ पर बताया कि उसका साथी 1–हरीओम पुत्र रामसागर निवासी नगला कदम थाना फतेहाबाद आगरा व कमल पुत्र विजय पाल निवासी हाउस न0–5 शिव निकुंज कालोनी कोलक्खा देवरी रोड आगरा व अशोक पुत्र कल्यान सिंह निवासी सुशील नगर थाना एत्माद्दौला आगरा व ममता पत्नी नेमीचन्द्र निवासिनी 1188 बेलनगंज जीवनीमण्डी आगरा है जो फर्जी नाम पता से जमानत देते है। अभी कुछ दिन पूर्व अ0सं0–250/22 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट थाना सदरबाजार आगरा बनाम अजय निवासी नैनानाजाट थाना सदर की जमानत कमल उपरोक्त ने निर्मल पुत्र गिर्राज सिंह निवासी भानपुर मॅनिया धौलपुर राजस्थान के नाम से व हरीओम उपरोक्त ने रामकिशन पुत्र भूरा निवासी भानपुर मॅनिया धौलपुर राजस्थान के नाम से जमानत कराया था। उक्त दोनो के आधार कार्ड में कमल व हरीओम के फोटो लगे है यह जमानत वकील सिकन्दर सेहरा ने करायी है, इनके अलावा भी राजू तिवारी व वकील चमन प्रकाश माहौर ने भी कई मुकद्मों में फर्जी जमानतदार लगाकर जमानत करायी है

गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध थाना–सदर बाजार जनपद आगरा पर मु0अ0सं0 210/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

अभियुक्त अश्वनी कुमार का ज्ञात अपराधिक इतिहासः–

1– मु0अ0सं0 365/09 धारा 364/302/368 भादवि, थाना सदर बाजार, आगरा।

2– मु0अ0सं0 365/09 धारा 364/302/368 भादवि, थाना सदर बाजार, आगरा।

3– मु0अ0स0 210/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि, थाना सदर बाजार, आगरा।

एसटीएफः दिनांक 17 व 18 फरवरी–2023 को हुई उ0प्र0 आरक्षी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट करने वालें गैंग का 01 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 23–04–2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा–2023 का पेपर लीक कराने वाले गैंग के 01 सदस्य को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1. विक्रम पहल पुत्र कंवर सिंह नि0 ग्राम बराह खुर्द, थाना जींद, जिला जींद, हरियाणा।

बरामदगीः

1. 01 अदद प्रश्न–पत्र उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा
2. 01 अदद प्रश्न–पत्र की हस्तलिखित उत्तरकुंजी
3. 01 अदद मोबाईल फोन
4. 01 अदद आधार कार्ड

गिरफ्तारी का स्थान व समय–

दिनांक 23–04–2024 स्थानः–. पेरीफैरल एक्सप्रेस–वे स्थित खेकडा फ्लाई ओवर के नीचे थाना खेकडा जनपद बागपत समयः 09.00 बजें प्रातः

उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा–2023 का प्रश्न पत्र आउट होने/विभिन्न माध्यमों से वायरल होने की सूचनाओं/तथ्यो के आधार पर शासन द्वारा परीक्षा निरस्त कर सम्पूर्ण पेपर लीक प्रकरण की जाँच एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को आवंटित की गयी।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा–2023 का पेपर लीक प्रकरण में एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए पूर्व में दि0 05–03–2024 को 06 सदस्यो 1. दीप उर्फ दीपक पुत्र दिनेश निवासी दोपहिया रोड पठानपुरा, थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ 2. बिटटू पुत्र दयाराम निवासी ग्राम अलीपुर, थाना सरधना, जनपद मेरठ 3. प्रवीण पुत्र ओमपाल निवासी नंगला ताशी, थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ 4. रोहित उर्फ ललित पुत्र बिनोद कुमार नि0 म0नं0 237 गोलाबढ थाना टीपी नगर मेरठ 5. नवीन कुमार पुत्र सलेखचन्द नि0 शोभापुर, थाना

कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ 6. साहिल पुत्र अमरनाथ नि0 शोभापुर थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ को प्रश्न–पत्र व उत्तर कुंजी सहित, दिनांक 12–03–2024 को महेन्द्र पुत्र रामफल निवासी बराह खुर्द थाना कोतवाली जींद जनपद जींद हरियाणा को, दिनांक 14–03–2024 को पूर्ण घटना का अनावरण करते हुए 1. अभिषेक कुमार शुक्ला पुत्र ब्रम्हदेव शुक्ला नि0 विक्रमपुर थाना सराय ममरेज, जनपद प्रयागराज 2. शिवम गिरि पुत्र राम अचल गिरि नि0 ग्राम–रमगढवा गोनौरा, थाना जिगना, जनपद मिर्जापुर 3. रोहित कुमार पाण्डेय पुत्र विजयनाथ पाण्डेय, नि0 ग्राम खेमापुर थाना कोईरोना जनपद भदोई को प्रश्न–पत्र सहित, दिनांक 21–03–2024 को अभियुक्त सतीश धनकड को प्रश्न–पत्र व उत्तरकुंजी सहित, दिनांक 03–04–2024 को अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा को प्रश्न–पत्र सहित, दिनांक 10–04–2024 को मुख्य अभियुक्त रवि अत्री पुत्र गोरख सिंह नि0 ग्राम नीमका थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर को प्रश्न–पत्र सहित एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था जो वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर है। दिनांक 18–04–2024 को अभियुक्त अजीत कुमार उर्फ अजीत चौहान पुत्र राजदेव चौहान नि0 दुहावर बिदोरी थाना नवडिया जिला जौनपुर एंव अभियुक्त अजय कुमार चौहान पुत्र त्रिवेणी चौहान नि0 दुहावर बिदोरी थाना नवडिया जिला जौनपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

उपरोक्त क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इसी क्रम में उ0नि0/विवेचक श्री योगेन्द्र पाल सिंह, निरीक्षक श्री सुनील कुमार मय हे0कां0 रकम सिंह, हे0कां0 विनय कुमार, हे0कां0 प्रदीप धनकड़ एंव हे0कां0 आकाशदीप के वांछित/ईनामी अपराधियों की पतारसी/ सुरागरसी व गिरफ्तारी हेतु जनपद बागपत मे पेरीफेरल एक्सप्रेस–वे हाईवे पर मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा के माह फरवरी–24 में हुए प्रश्न–पत्र लीक के मामले में थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ पर दर्ज मुकदमें मे शामिल अपराधी विक्रम पहल खेकडा फ्लाईओवर के नीचे खड़ा अपने किसी साथी का इंतजार कर रहा है। मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास करते हुए टीम मय मुखबिर के खेकडा फ्लाई ओवर की तरफ पहुँच कर मुखबिर की निशादेही पर उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उपरोक्तानुसार बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया वह वर्ष–2010 में दिल्ली पुलिस में बतौर कान्स0 के पद पर भर्ती हुआ था। दिल्ली पुलिस में उसकी पोस्टिंग तृतीय बटालियन, प्रथम बटालियन, यातायात, सीएम बटालियन, नई दिल्ली में रही है। वर्ष–2021 में सोनीपत के रहने वाले नितिन, जो उसके साथ पढ़ा था तथा वह प्रतियोगिता परीक्षाओं में सोल्वर व पेपर आऊट कराने का काम करता था, ने उसकी मुलाकात रवि अत्री से कराई थी तथा बताया था कि रवि अत्री प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर आउट कराने का काम करता है। फिर उसने व रवि अत्री ने एक–दूसरे को अपना मो0न0 ले–देकर आपस में बातचीत करना प्रारम्भ कर दी।

अभियुक्त विक्रम पहल उपरोक्त से उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा–2023 व अन्य प्रतियोगी परीक्षओं के पेपर आऊट कराने के सम्बन्ध मे की गयी पूछताछ पर निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः–

- गिर0 अभियुक्त ने मुख्य अभियुक्त रवि अत्री के कहने पर अपने साथी उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आउट अभ्यर्थियों पढवाने के लिए किसी एकांत स्थान पर स्थित किसी ऐसे होटल या रिसोर्ट की तलाश करने का कहा था जिसमें 1000 अभ्यर्थियों को आउट पेपर पढवाया जा सके।
- तत्पश्चात गिर0 अभियुक्त विक्रम पहल ने अपने साथी/सहअभियुक्त गुनिया उर्फ इन्द्रजीत नि0 ग्राम–किलोई जनपद झज्जर व दाउद उर्फ विक्की नि0 किलोई जनपद झज्जर को ऐसा स्थान तलाश करने को कहा था।
- गिर0 अभि0 के साथी गुनिया उर्फ इन्द्रजीत व दाउद उर्फ विक्की ने अभ्यर्थियों को आउट प्रश्न–पत्र पढवाने के लिए नेचर वैली रिसोर्ट मानेसर, गुरूग्राम हरियाणा सही स्थान बताया था।
- गिर0 अभियुक्त अपने साथियों के साथ नेचर वैली रिसोर्ट मानेसर, गुरूग्राम हरियाणा गया था और रिसोर्ट के मालिक सतीश धनकड से मिलकर रिसोर्ट बुक करने के लिये 18 से 20 लाख रूपये की बात हुई थी तथा कुछ पैसा नकद भी दिया था।

- गिर0 अभियुक्त दि0 15—02—2024 को अपने अन्य साथियों के साथ नेचर वैली रिसोर्ट पर करीब 400 अभ्यार्थियों को साथ लेकर गया था परन्तु 15—02—2024 को पेपर न आने के कारण रात मे नेचर वैली रिसोर्ट पर ही रूके थे। रात्रि में मुख्य अभियुक्त रवि अत्री व राजीव नयन मिश्रा का फोन आया और उन्होने कहा था कि रोहतक रोड, दिल्ली बॉर्डर पर जाकर उनके साथी राजन नि0 बिहार से यू0पी0 पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न—पत्र व उत्तरकुंजी ले लेना।
- दि0 16—02—2024 को सुबह गिर0 अभियुक्त विक्रम पहल अपने साथियों के साथ कार से रोहतक रोड दिल्ली बार्डर पर गया था और वहां से राजन नि0 बिहार से पेपर व उत्तरकुंजी लेकर आया था और अपने साथियों के साथ मिलकर नेचर वैली रिसोर्ट में लगभग 800 अभ्यार्थियों को उ0प्र0 पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न—पत्र व उत्तर पढाये गये थे।
- राजन निवासी बिहार, के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ कि राजन की दरभंगा बिहार में कृष्णा डिजीटल नाम से एक लैब है तथा राजन रोहणी दिल्ली में किसी अपार्टमेंट में किसी फ्लैट में रहता हैं ।

अभियुक्त से अन्य घटनाओं और इनके गैंग द्वारा पेपर लीक व प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने वालें अन्य गैंग के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही हैं।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त को थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ में पंजीकृत मु0अ0सं0 166/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि व 3/4/7/8/9 सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधि0 में दाखिल किया गया है। विवेचना एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ द्वारा की जा रही हैं।

एस0टीएफ0–बेगूसराय, बिहार के कुख्यात टाईगर गैंग का सक्रिय सदस्य और विगत 02 वर्षों से हत्या/डकैती के अभियोग में फरार चल रहा थाना तेघडा, जनपद बेगूसराय, बिहार के मु0अ0सं0 253/22 धारा 396 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट एवं मु0अ0सं0 256/23 धारा 307/120बी/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का वांछित रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी सुशील राय गिरफ्तारी ।

दिनांकः 23–04–2024 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को बेगूसराय, बिहार का कुख्यात टाईगर गैंग का सक्रिय सदस्य और विगत 02 वर्षों से हत्या/डकैती के अभियोग में फरार चल रहा थाना तेघडा, जनपद बेगूसराय, बिहार के मु0अ0सं0 253/22 धारा 396 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट एवं मु0अ0सं0 256/23 धारा 307/120बी/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का वांछित रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी सुशील राय को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः–

सुशील राय पुत्र स्व0 रामशरण राय निवासी बनहारा, थाना तेघडा, जनपद बेगूसराय, बिहार ।

गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–

दिनांक 23–04–2024 समय 00.40 बजे, सब्जी मंडी वाली गली वर्धमानपुम, लोनी जनपद गाजियाबाद क्षेत्र

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के पर्यवेक्षण में व श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ नोएडा के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री केशव शांडिल्य द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23–04–2024 को पटना एस0टी0एफ0 बिहार पुलिस को पतारसी, सुरागरसी के दौरान जानकारी मिली कि थाना तेघडा, जनपद बेगूसराय बिहार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 253/2022 धारा 396 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट एवं मु0अ0सं0 256/23 धारा 307/120बी/34 भादवि व 27 आर्म्स एक्ट के अभियोग में फरार चल रहा रू0 1,00,000/ का ईनामी अपराधी सुशील राय निवासी ग्राम बनहारा थाना तेघडा जनपद बेगूसराय, बिहार, जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में मौजूद है, इस सम्बन्ध में पटना एस0टी0एफ0 बिहार पुलिस द्वारा एस0टी0एफ0 नोएडा यूनिट से सहयोग प्रदान

करने की अपेक्षा की गयी थी और पटना एस0टी0एफ0 बिहार पुलिस द्वारा एस0टी0एफ0 नोएडा यूनिट गौतमबुद्धनगर से सूचना का आदान प्रदान किया गया तथा एस0टी0एफ0 नोएडा यूनिट द्वारा आवश्यक अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की गयीं

अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के दौरान दिनांक 23—04—2023 को मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उक्त दोनो अभियोगों में वांछित ईनामी अपराधी सुशील राय, सब्जी मंडी वाली गली, वर्धमानपुरम, लोनी जनपद गाजियाबाद में मौजूद है, यदि जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर से प्राप्त सूचना पर संयुक्त रूप से तत्काल त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर की निशादेही पर घेराबंदी करके अभियुक्त सुशील राय को समय करीब 00.40 बजे गिरफ्तार करके थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद पर लाया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त सुशील राय ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 38 साल है और वह कक्षा 10 पास है। बताया कि वर्ष 2001 में गॉव की जमीन की रंजिश को लेकर उसके भाई मुन्ना राय की हत्या सुबोध राय एवं रामाधार राय ने अपने परिजनों के साथ मिलकर कर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने रामाधार राय के ऊपर गोली चलाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके सम्बन्ध में थाना तेघडा, जनपद बेगूसराय पर मु0अ0स0 322/2001 धारा 307 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें वह जेल गया था और वर्ष 2002 में जमानत पर बाहर आया था। बाद में इस केस में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुशील राय को 10 वर्ष की सजा सुनाई गयी। जेल में रहने के दौरान अभियुक्त सुशील राय की जान पहचान बिहार के जोगी टाईगर गैंग के कुख्यात सरगना जोगी टाईगर से हो गयी। अभियुक्त सुशील राय ने जोगी टाईगर गैंग के साथ मिलकर वर्ष 2002 में आलोक राजगरिया, जो अभ्रक बनाने की फैक्ट्री चलाता था, का अपहरण कर एक करोड़ रूपये की फिरोती मांगी गयी थी, जिसमें बिहार पुलिस द्वारा अपहृत आलोक राजगरिया को सकुशल बरामद कर अभियुक्त सुशील राय आदि को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस केस में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुशील राय को आजीवन कारावास की सजा हुई थी परन्तु अभियुक्त सुशील राय, माननीय सर्वोच्च न्यायलय से बरी हो गया था।

दिनांक 23—10—2019 को सुबोध राय से चल रही रंजिश के चलते ही अभियुक्त सुशील राय के द्वारा एक अपहरण की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तेघडा पर मु0अ0सं0 370/19 धारा 364/34 भादवि का अभियोग बनाम सुशील राय एंव शिवलोचन राय के विरूद्व पंजीकृत

हुआ, जिसमें थानाध्यक्ष तेघडा के द्वारा गिरफ्तारी के लिए, जो दिनांक 22–12–2019 को गॉव में दबिश दी गयी थी और इन दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसी दौरान इन लोगों ने परिजनों के साथ मिलकर बिहार पुलिस टीम पर हमला कर दिया था तथा एक सरकारी वाहन में तोड़–फोडद्व कर दी थी, जिसमें एस0ए0पी0 बल के कई पुलिसकर्मियों को चोटें आयीं थीं। इस जघन्य घटना के सम्बन्ध में थाना तेघडा पर मु0अ0स0 434/19 धारा 147/148/149/323/337/338/33/427/504/506/507 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ है और इस अभियोग में अभियुक्त सुशील राय एवं शिवलोचन राय जेल गये थे, जो 06 माह जेल में रहे थे।

इसके पश्चात दिनांक 02–09–2022 को अभियुक्त सुशील राय एवं उसके भाई शिवलोचन राय आदि ने मिलकर सुबोध राय के पुत्र अवनीश व रजनीश से ट्रैक्टर छीना और उनके ऊपर गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसमें अवनीश की मृत्यु हो गयी थी तथा रजनीश गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना तेघडा, जनपद बेगूसराय पर मु0अ0सं0 253/2022 धारा 396 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग अभियुक्त सुशील राय आदि के विरूद्व पंजीकृत हुआ है। इस अभियोग में सुबोध राय व उसके परिजनों पर अभियुक्त सुशील राय द्वारा दिनांक 18–08–2023 को समझौता करने का दबाव बनाने के लिए घर पर चढकर कई गोलियॉ चलाई गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तेघडा पर मु0अ0स0 256/2023 धारा 307/120बी/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग बनाम सुशील राय आदि के विरूद्व पंजीकृत हुआ है।

उल्लेखनीय है कि उक्त दोनो अभियोगों में अभियुक्त सुशील राय फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस महानिदेशक, बिहार के स्तर से एक लाख रूपये का पुरस्कार घोषित हो रखा था ।

गिरफ्तार अभियुक्त सुशील कुमार, उपरोक्त के विरूद्व निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–

क्र0 सं0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	370/19	364/34 भादवि	तेघडा	बेगूसराय बिहार
2	434/19	147/148/149/323/337/338/33/427/504/506/507 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	तेघडा	बेगूसराय बिहार
3	322/2001	307 भादवि	तेघडा	बेगूसराय बिहार
4	253/22	396 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	तेघडा	बेगूसराय बिहार
5	256/23	307/120बी/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	तेघडा	बेगूसराय बिहार

पटना एस0टी0एफ0 बिहार पुलिस एवं एस0टी0एफ0 यूनिट गौतमबुद्धनगर की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23–04–2024 को अभियुक्त सुशील राय को गिरफ्तार किया गया। तदोपरान्त विधिक प्रक्रिया से अभियुक्त सुशील राय को पटना एस0टी0एफ0 बिहार पुलिस के सुपुर्द किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही पटना एस0टी0एफ0 बिहार पुलिस द्वारा की जा रही है।

———––